



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref..... सं० / AUBA074/MGGAU/ 2025-26 / 1003,

Date: 23/01/26

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं० 420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ, दिनांक 12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं० 76/79-वि-1-21-2(क)-1-2021 लखनऊ दिनांक 09.01.2021 द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर अधिनियम-2020 के अध्याय-2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कॉलेज कोड संख्या **AUBA074 प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज निकट एम0जी0 पालिटेक्निक आगरा रोड, हाथरस** द्वारा सम्बद्धता हेतु आनलाईन आवेदन किया गया है। सत्र-2021-22 में कालेज द्वारा 05 छात्रों का प्रवेश लिया गया जिसको मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेशित 05 छात्रों को नियमित किया गया था। मा० उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश के क्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०--न०-3-4/यू०पी०/ एम०ए०आर०बी०/2025-ए०वाई०.(58) दिनांक-17.09.2025 के द्वारा "In these circumstances following the view of the coordinate Bench in Beehive Ayurvedic Medical college and hospital this petition is disposed of by regularising the admissions of five students who joined the UG (BAMS) Course of the petitioner for the year 2021-22" दिये गये आदेश के क्रम में मा० कुलपति जी द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक-19.01.2026 के आधार पर मा० कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में, निम्नलिखित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान कि जाती हैं-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1.	बी.ए.एम.एस.	05 सीट

सम्बद्धता की शर्तें निम्नवत् होंगी -

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.), आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा एन.सी.आई.एस.एम. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उ०प्र० शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समन्यान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेगें तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगें।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा एन.सी.आई.एस.एम, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना/शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.)।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम व मूल्यांकन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. परीक्षा नियंत्रक, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर।
8. प्रधानाचार्य/संचालक, प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज निकट एम0जी0 पालिटेक्निक आगरा रोड, हाथरस।
9. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव